रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-139/2016/238/22-2-2016-17(36)/2016

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्धदोष **बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-15693) पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम-करवाडा, थाना-तितावी, जिला-मुजफ्फरनगर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-334/1981** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0, मुजफ्फरनगर द्वारा **दिनांक 20-12-1983** को दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **दिनांक 09-12-2005** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-139/2016/238(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in